

## विषय -सूची

क्रम सं.	ब्योरा
अनुबंध - I	समग्र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम की तुलना में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को प्रदान प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम दर्शाने वाला अर्ध-वार्षिक विवरण का प्रारूप
अनुबंध -II	अल्पसंख्यक संकेद्रित जिलों की सूची
अनुबंध - III	पहचाने गए जिलों में समग्र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम की तुलना में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को प्रदान प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम दर्शाने वाला अर्ध-वार्षिक विवरण का प्रारूप
अनुबंध - IV	मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्र की सूची

**मास्टर परिपत्र**  
**प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार -**  
**विशेष कार्यक्रम**

**1. अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं**

भारत सरकार ने इस बारे में सावधानी बरतने का उल्लेख किया है कि अल्पसंख्यक समुदायों को सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न विशेष कार्यक्रमों द्वारा मिलने वाले लाभ सही और पर्याप्त मात्रा में प्रदान किये जाते हैं। सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों के सभी वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि अल्पसंख्यक समुदायों को बैंक ऋण आसानी से उपलब्ध होता है।

**2. अल्पसंख्यक समुदायों की परिभाषा**

2.1 निम्नलिखित समुदायों को भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया गया है :

- (क) सिख
- (ख) मुस्लिम
- (ग) इसाई
- (घ) झोरास्ट्रियन
- (ङ) बुद्धिस्ट

**3. विशेष कक्ष की स्थापना और पूर्णतया उसके लिए नामित अधिकारी**

प्रत्येक बैंक में एक विशेष कक्ष की स्थापना की जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण आसानी से उपलब्ध होता रहे और इस कक्ष का मुख्य अधिकारी उप महाप्रबंधक/सहायक महाप्रबंधक या कोई अन्य समश्रेणी का होगा, जो 'नोडल अधिकारी' के रूप में कार्य करेगा।

प्रत्येक अल्पसंख्यक बहुल जिले के अग्रणी बैंक में एक अधिकारी होगा जो पूर्णतया अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण उपलब्ध कराने से संबंधित समस्याओं की ही जांच करेगा। बैंक ऋण के विविध कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार अल्पसंख्यक समुदायों के बीच करना और उनके लाभ हेतु शाखा प्रबंधकों के सहयोग से उपयुक्त योजनाएं बनाना उसका उत्तरदायित्व होगा।

भारत सरकार ने उन राज्यों को छोड़कर जहां अल्पसंख्यक मेजोरिटी में है (जम्मू और काश्मीर, पंजाब, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड और लक्षद्वीप ) उन 121 अल्पसंख्यक सकेन्द्रित जिलों की सूची भेजी है जहां अल्पसंख्यकों की आबादी कम से कम 25% है । तदनुसार, सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को हमारे दिनांक 16 जुलाई 2007 के परिपत्र ग्राआरवि.एसपी.बीसी.सं. 13/09.10.01/2007-08 द्वारा यह सूचित किया गया है कि वे उन 103 जिलों जिनकी निगरानी अब तक की जा रही थी के बजाए इन 121 जिलों के अल्पसंख्यकों को ऋण उपलब्धता की विशेष रूप से निगरानी करें और उसके द्वारा यह सुनिश्चित करें कि अल्पसंख्यक समुदाय को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के संपूर्ण लक्ष्य के अंदर ऋण का उचित और बराबर का हिस्सा प्राप्त होता है ( अल्पसंख्यक सकेन्द्रित जिलों की अद्यतन सूची अनुबंध II में दी गई है )।

नामित अधिकारी संबंधित जिलों में अल्पसंख्यक समुदाय की ऋण सहायता से संबंधित पहलुओं पर ही ध्यान देगा और वह जिले स्तर पर स्थापित अग्रणी बैंक से संबद्ध होगा। इस प्रकार, वह अग्रणी बैंक अधिकारी से आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेगा। अग्रणी बैंक अधिकारी काफी वरिष्ठ स्तर का अधिकारी होगा जिसे अन्य क्रेडिट संस्थाओं और सरकारी एजेंसियों के साथ प्रभावी रूप से संपर्क करने का पर्याप्त अनुभव होगा। वह जिले के अन्य बैंकों के शाखा प्रबंधकों के धनिष्ठ सहयोग के साथ काम भी करता रहा होगा। नामित अधिकारी अल्प संख्यक समुदायों के सदस्यों के लिए यथोचित योजनाएं तैयार करने में उनके मार्गदर्शन के लिए बैठकें आयोजित करने की भी व्यवस्था करेगा। संबंधित बैंक के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि नामित अधिकारी को सौंपी गई भूमिका कारगर रूप से सफल होती है ।

जिला परामर्शदात्री समितियों (डीसीसी ) और राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों (एसएलबीसी) के समन्वयक बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि अल्पसंख्यक समुदायों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाये जाते हैं और इस संबंध में की गयी प्रगति की उनकी बैठकों में नियमित रूप से समीक्षा की जाती है ।

जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति/राज्य स्तरीय पुनरीक्षण बैठकें/राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के समन्वयक बैंक राज्य अल्पसंख्यक आयोगों/बोर्डों या राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगमों के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशकों को या उनके प्रतिनिधियों को राज्य स्तरीय पुनरीक्षण समिति (डीएलआरसी), राज्य स्तरीय पुनरीक्षण बैठक (एसएलआरएम) और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु आमंत्रित कर सकते हैं ।

i) मुख्य कार्यालय के विशेष कक्ष के प्रभारी अधिकारी ii) चयनित जिलों में केवल अल्पसंख्यक समुदायों की समस्याओं के संबंध में कार्रवाई करने वाले अग्रणी बैंकों द्वारा नियुक्त अधिकारियों के नाम, पदनाम और पते अल्पसंख्यकों के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग को बैंकों द्वारा निम्नलिखित पते पर प्रस्तुत किये जाएं और आवधिक रूप से अद्यतन किये जाएं :

सचिव  
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग  
भारत सरकार  
लोक नायक भवन  
5वीं मंजिल, खान मार्केट  
नई दिल्ली 110003

संबंधित पत्राचार की प्रतिलिपि ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई को भी प्रस्तुत की जाए ।

अल्पसंख्यक समुदाय सकेन्द्रित वाले चयनित जिलों में अग्रणी बैंक जागरूकता उत्पन्न करने, हिताधिकारियों की पहचान करने, अर्थक्षम योजनाएँ तैयार करने, विपणन और विनिर्माण सुविधाएँ उपलब्ध कराने यथा निविष्टियों की आपूर्ति/विपणन वसूली आदि सहित अतिरिक्त कार्यों में राज्य अल्पसंख्यक आयोग/वित्त निगम को सम्मिलित कर सकते हैं ।

चयनित जिलों में अग्रणी बैंक, नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधकों/गैर सरकारी संगठनों/ स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से गरीबों तक पहुंच सकते हैं ।

#### 4. विभेदक ब्याज दर योजना के अन्तर्गत अग्रिम

अजा / अजजा विकास निगमों को जिन शर्तों पर ऋण प्रदान किए जाते हैं, बैंक उन्हीं शर्तों पर विभेदक ब्याज दर योजना के अंतर्गत राज्य अल्पसंख्यक वित्त / विकास निगम को ऋण प्रदान कर सकते हैं, बशर्ते निगमों के हिताधिकारी पात्रता संबंधी मानदंडों तथा योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तें पूरी करते हों ।

## 5. निगरानी

- 5.1 विशिष्ट अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण उपलब्ध कराने में बैंकों के कार्य निष्पादन की निगरानी के उद्देश्य से अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को उपलब्ध कराई जाने वाली ऋण सहायता के आँकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय और कल्याण मंत्रालय को प्रतिवर्ष मार्च और सितंबर के अन्तिम शुक्रवार को छमाही आधार पर भेजे जाने चाहिए। विवरण (अनुबंध I में दिया गया) प्रत्येक छमाही की समाप्ति से एक माह के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक में पहुँच जाना चाहिए।
- 5.2 भागीदारी फर्म के मामले में, यदि भागीदारों में से अधिकांश विशिष्ट समुदायों से संबंधित हैं तो, ऐसी भागीदारी फर्मों को दिए गए अग्रिम को अल्पसंख्यक समुदायों को दिए गए अग्रिमों में गिना जाना चाहिए तथा उसे तदनुसार निर्धारित विवरण में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यदि किसी कम्पनी का कानूनी रूप से पृथक अस्तित्व है, तो उसे दिए गए अग्रिमों को निर्धारित अल्पसंख्यक समुदायों को दिए गए अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।
- 5.3 चयनित जिलों में जिला परामर्शदात्री समितियों के आयोजक बैंकों को संबंधित तिमाही की समाप्ति के एक माह के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को अपने अग्रणी उत्तरदायित्व के अन्तर्गत जिले के लिए निर्धारित फार्मेट में (अनुबंध III में) उनके द्वारा संकलित बैंकों द्वारा निर्दिष्ट अल्पसंख्यक समुदायों को स्वीकृत प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के आँकड़े प्रस्तुत करने चाहिए। पहचाने गए जिलों के नाम तथा ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों जिनको अग्रणी बैंक द्वारा विवरण प्रस्तुत किया जाना है, की सूची अनुबंध II में संलग्न है।
- 5.4 अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में हुई प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा जिला परामर्शदात्री समितियों तथा राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों में होनी चाहिए।
- 5.5 चयनित जिलों में अग्रणी बैंकों को संबंधित जिला परामर्शदात्री समितियों तथा राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों की कार्यसूची का सार और बैठकों का कार्यवृत्त वित्त मंत्रालय और कल्याण मंत्रालय को उनके प्रयोग के लिए तिमाही आधार पर प्रस्तुत करना चाहिए।

## 6. प्रशिक्षण

- 6.1 यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक स्टाफ और अन्य अधिकारी अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को उचित प्रकार से समझते हैं, पदाधिकारियों और अन्य स्टाफ सदस्यों को उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए बैंकों को अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में, प्रारंभिक पाठ्यक्रम, ग्रामीण उधार पर कार्यक्रम, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को अग्रिम, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम इत्यादि से संबंधित सत्रों को सम्मिलित करना चाहिए।
- 6.2 चयनित जिलों में कार्यरत अग्रणी बैंकों को उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए ताकि इन क्षेत्रों के अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्य बैंकों द्वारा वित्तपोषित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त कर सकें। इन जिलों की जनता के बड़े भाग द्वारा किए जा रहे बड़े व्यवसाय अथवा गतिविधि के आधार पर राज्य सरकारों, उद्योग विभाग, जिला उद्योग केन्द्र, लघु उद्योग विकास बैंक, राज्य तकनीकी परामर्शदाता संगठन, खादी और ग्रामोद्योग आयोग तथा अन्य संगठनों, जो ऐसे प्रशिक्षण और ओरियंटेशन देने के लिए पूर्णतया सक्षम हैं, के सहयोग से इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए। कार्यक्रम की अवधि, कार्यक्रम की विषयवस्तु और संकाय सदस्यों का चयन इत्यादि से संबंधित निर्णय प्रत्येक अग्रणी बैंक द्वारा जिले में जनता की तात्कालिक स्थितियों, वर्तमान कौशल और आवश्यकता के साथ-साथ योग्यता को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए।
- 6.3 चयनित जिलों में अग्रणी बैंकों द्वारा इन जिलों में पदापित स्टाफ को विभिन्न ऋण योजनाओं के अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदायों को सहायता प्रदान करने के लिए समुचित प्रशिक्षण के माध्यम से प्रबोधित और प्रोत्साहित करना चाहिए।
- 6.4 अग्रणी बैंक नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधकों की सहायता से स्वयं सहायता समूहों को व्यक्ति ऋण/उधार देने के संबंध में बैंक के पदाधिकारियों के लिए सुग्राहीकरण कार्यशालाओं का आयोजन करें।

## 7. प्रचार

- 7.1 सरकार के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार अल्पसंख्यक समुदायों की बहुलता वाले स्थानों तथा विशेष रूप से अनुबंध II में सूचीबद्ध जिलों में होना चाहिए जहाँ अल्पसंख्यक समुदाय बड़ी मात्रा में हैं।

7.2 चयनित जिलों में अग्रणी बैंकों को अल्पसंख्यक समुदायों के बीच बैंकों से ऋण सुविधाएँ प्राप्त करने के उचित उपायों का प्रचार-प्रसार करना चाहिए ; यथा i) प्रिंट मीडिया अर्थात् स्थानीय भाषाओं में पेंप्लेटों का वितरण, समाचार पत्रों में विज्ञापन/लेख इत्यादि ii) टी.वी.चैनल - दूरदर्शन/स्थानीय चैनल iii) इन समुदायों द्वारा धार्मिक/त्यौहारों के अवसरों पर आयोजित मेलों में सहभागी होना / स्टॉल लगाना ।

## 8. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एनएमडीएफसी )

8.1 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एनएमडीएफसी )की स्थापना अल्पसंख्यक समुदायों के पिछड़े वर्गों के बीच आर्थिक और विकासात्मक गतिविधियों के विकास हेतु सितम्बर 1994 में की गई । राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम एक शिखर संस्था के रूप में कार्य करता है तथा संबंधित राज्य/संघ शासित सरकारों के राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम के माध्यम से हिताधिकारियों को राशि उपलब्ध कराता है ।

8.2 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम के साथ-साथ मार्जिन मनी योजना जो परियोजना लागत के 60% तक बैंक वित्त से जुड़ी हुई है, परिचालित है । परियोजना लागत की शेष राशि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम, राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी और हिताधिकारी द्वारा क्रमशः 25%, 10%, और 5% के अनुपात में वहन की जाएगी । राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम द्वारा आरंभ की गई मार्जिन मनी योजना का कार्यान्वयन बैंकों द्वारा किया जाएगा । बैंक वित्त प्रदान करते समय बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को अग्रिम के संबंध में समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखना होगा । यह सुनिश्चित किया जाए कि ऋण की राशि से सृजित आस्तियाँ बैंक के पास बंधक/गिरवी रखी जाएंगी । बैंकों द्वारा की गई वसूली में से पहले बैंक को देय राशि की वसूली की जाएगी ।

## 9. अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधान मंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम

भारत सरकार ने अल्प संख्यकों के कल्याण के लिए "प्रधान मंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम" को संशोधित किया है। उक्त कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले उधार का यथोचित प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदायों को देने का लक्ष्य रखा जाए और यह भी कि भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के विभिन्न लाभ, सुविधाओं से वंचित लोगों तक पहुंचते हैं जिनमें अल्प संख्यक समुदायों के सुविधाहीन वर्ग भी शामिल हों। यह नया कार्यक्रम केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों / विभागों द्वारा राज्य सरकारों / संघ शासित क्षेत्रों के जरिए कार्यान्वित किया जाना है और यह अल्प संख्यक सकेन्द्रित जिलों में विकास परियोजनाओं के विशिष्ट अनुपात की स्थिति दर्शाता है। तदनुसार, सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को हमारे दिनांक 1 सितंबर 2006 के परिपत्र ग्राआऋवि.एसपी.22/09.10.01/2006-07 द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया है कि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार देने के समस्त लक्ष्यों और कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत के उपलक्ष्य के अंदर अल्प संख्यक समुदायों को भी ऋण का उचित हिस्सा प्राप्त होता है। अग्रणी बैंकों को सूचित किया गया है कि वे जिला ऋण योजना तैयार करते समय इस आवश्यकता को ध्यान में रखें।





















अधिक अल्पसंख्यक आबादी वाले जिलों की सूची  
( पैराग्राफ 3.2, 5.3 और 7.1 के अनुसार )

अनुबंध II

29 राज्यों में 25 प्रतिशत और उससे अधिक अल्पसंख्यक आबादी वाले जिलों की सूची (उन छः राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को छोड़कर जहाँ अल्पसंख्यक अधिक संख्या में है)														
Sl. No.	राज्य	क्र. संख्या	जिला	कुल आबादी	मुस्लिम आबादी	कुल आबादी में मुस्लिम का %	ईसाई आबादी	कुल आबादी में ईसाई का %	सिख आबादी	कुल आबादी में सिख का %	बुद्धिस्ट आबादी	कुल आबादी में बुद्धिस्ट का %	कुल अल्पसंख्यक आबादी	अल्पसंख्यकों की आबादी का %
I	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	X	xi	xii	xiii	xiv	Xv
1	अंदमान (2)	1	निकोबार	42068	2131	5	28145	67	508	1	40	0	30,824	73
	अंदमान	2	अंदमान	314084	27134	9	49033	16	1079	0	381	0	77627	25
2	आंध्र प्रदेश (1)	3	हैदराबाद	3829753	1576583	41	92915	2	10951	0	832	0	1681281	44
3	अरुणाचल प्रदेश (7)	4	तवांग	38924	225	1	308	1	420	1	29083	75	30036	77
	अरुणाचल प्रदेश	7	चंगलांग	125422	1163	1	21931	17	47	0	42744	34	65885	53
	अरुणाचल प्रदेश	6	तिराप	100326	756	1	50199	50	99	0	675	1	51729	52
	अरुणाचल प्रदेश	7	वेस्ट कामेंग	74599	1159	2	2462	3	426	1	33104	44	37151	50
	अरुणाचल प्रदेश	8	पापुम परे*	122003	5318	4	36574	30	263	0	3330	3	45485	37
	अरुणाचल प्रदेश	9	इस्ट कामेंग	57179	384	1	14550	25	46	0	705	1	15685	27
	अरुणाचल प्रदेश	10	लोअर सुबनसिरी	98244	830	1	24078	25	52	0	284	0	25244	26
4	असम (13)	11	धुब्ररी	1637344	1216455	74	12477	1	159	0	292	0	1229383	75

	असम	12	गोआल पाडा	822035	441516	54	64662	8	108	0	178	0	506464	62		
	असम	13	बरपेटा	1647201	977943	59	5267	0	258	0	194	0	983662	60		
	असम	14	हेलाकांडी	542872	312849	58	5424	1	9	0	589	0	318871	59		
	असम	15	करीमगंज	1007976	527214	52	8746	1	128	0	346	0	536434	53		
	असम	16	नगांव	2314629	1180267	51	21473	1	3055	0	1058	0	1205853	52		
	असम	17	मरीगांव	776256	369398	48	759	0	69	0	84	0	370310	48		
	असम	18	दरंग	1504320	534658	36	97306	6	520	0	1871	0	634355	42		
	असम	19	बोंगईगांव	904835	348573	39	18728	2	512	0	330	0	368143	41		
	असम	20	कचार	1444921	522051	36	31306	2	628	0	742	0	554727	38		
	असम	21	कोक्राझार	905764	184441	20	124270	14	133	0	1574	0	310418	34		
	असम	22	नॉर्थ कचार	188079	4662	2	50183	27	220	0	857	0	55922	30		
	असम	23	कामरूप	2522324	625002	25	44257	2	4797	0	1709	0	675765	27		
5	बिहार (4)	24	किशनगंज	1296348	876105	68	2856	0	492	0	398	0	879851	68		
	बिहार	25	कटिहार	2392638	1017495	43	4994	0	2225	0	84	0	1024798	43		
	बिहार	26	अरारिया	2158608	887972	41	1251	0	469	0	1091	0	890783	41		
	बिहार	27	पुर्निया	2543942	935239	37	4392	0	1394	0	77	0	941102	37		
6	दिल्ली (2)	28	सेंट्रल*	646385	193137	30	4628	1	17126	3	383	0	215274	33		
	दिल्ली	29	नॉर्थ * ईस्ट	1768061	481607	27	7640	0	18505	1	4802	0	512554	29		
7	गोवा (1)	30	साऊथ गोवा	589095	48827	8	223178	38	572	0	174	0	272751	46		
8	हरियाणा (2)	31	गुडगांव	1660289	617918	37	3258	0	6672	0	838	0	628686	38		
	हरियाणा	32	सिरसा	1116649	7056	1	1648	0	3E+05	27	306	0	311952	28		
9	हिमाचल प्रदेश(2)	33	लाहुल और स्पिटी	33224	134	0	84	0	34	0	19535	59	19787	60		
	हिमाचल प्रदेश	34	किन्नौर	78334	306	0	324	0	256	0	19405	25	20291	26		
10	झारखंड (3)	35	पकौर*	701664	227069	32	41099	6	456	0	52	0	268676	38		
	झारखंड	36	साहिबगंज	927770	290060	31	58723	6	290	0	40	0	349113	38		
	झारखंड	37	गुमला	1346767	59752	4	425107	32	511	0	245	0	485615	36		
11	कर्नाटक (2)	38	दक्षिण कन्नड	1897730	418904	22	164982	9	352	0	513	0	584751	31		

	कर्नाटक	39	बिदर	1502373	295762	20	43150	3	654	0	122083	8	461649	31	
12	केरल (14)	40	मल्लापुरम	3625471	2484576	69	80650	2	221	0	387	0	2565834	71	
	केरल	41	एर्नाकुलम	3105798	451764	15	1E+06	39	708	0	220	0	1657163	53	
	केरल	42	कोट्टायम	1953646	116686	6	871371	45	43	0	77	0	988177	51	
	केरल	43	इडुक्की	1129221	81222	7	480108	43	125	0	59	0	561514	50	
	केरल	44	वयनाड	780619	209758	27	175495	22	17	0	42	0	385312	49	
	केरल	45	पठानमथिट्टा	1234016	56457	5	481602	39	81	0	64	0	538204	44	
	केरल	46	कोझिकोड	2879131	1078750	37	127468	4	83	0	56	0	1206357	42	
	केरल	47	कसारागोड़	1204078	413063	34	84891	7	85	0	42	0	498081	41	
	केरल	48	त्रिचूर	2974232	488697	16	720152	24	130	0	163	0	1209142	41	
	केरल	49	कन्नूर	2408956	665648	28	261019	11	312	0	118	0	927097	38	
	केरल	50	कोल्लम	2585208	474071	18	423745	16	198	0	214	0	898228	35	
	केरल	51	तिरुवनंतपुरम	3234356	431512	13	595563	18	335	0	270	0	1027680	32	
	केरल	52	पलाक्काड	2617482	703596	27	109249	4	232	0	113	0	813190	31	
	केरल	53	अलपुझा	2109160	208042	10	441643	21	192	0	202	0	650079	31	
13	मध्य प्रदेश (1)	54	भोपाल	1843510	421365	23	20429	1	11340	1	20561	1	473695	26	
14	महाराष्ट्र (9)	55	अकोला	1630239	296272	18	3494	0	1201	0	293184	18	594151	36	
	महाराष्ट्र	56	मुंबई	3338031	734484	22	106240	3	16330	0	161417	5	1018471	31	
	महाराष्ट्र	57	औरंगाबाद	2897013	569516	20	15558	1	4452	0	247222	9	836748	29	
	महाराष्ट्र	58	मुंबई (सबअर्बन)*	8640419	1488987	17	340166	4	53271	1	464354	5	2346778	27	
	महाराष्ट्र	59	अमरावती	2607160	347250	13	7315	0	2940	0	350403	13	707908	27	
	महाराष्ट्र	60	बुलढाणा	2232480	285387	13	2545	0	1501	0	306503	14	595936	27	
	महाराष्ट्र	61	परभणी	1527715	243935	16	1368	0	789	0	153231	10	399323	26	
	महाराष्ट्र	62	वाशिम*	1020216	111863	11	1211	0	500	0	150580	15	264154	26	

	महाराष्ट्र	63	हिंगोली*	987160	103199	10	468	0	474	0	147927	15	252068	26		
15	मणिपुर (6)	64	तमैंगलोग	111499	1431	1	105791	95	67	0	7	0	107296	96		
	मणिपुर	65	उखस्त	140778	881	1	133966	95	96	0	84	0	135027	96		
	मणिपुर	66	चुराचंदपुर	227905	2573	1	213186	94	125	0	47	0	215931	95		
	मणिपुर	67	चंदेल	118327	2318	2	109128	92	125	0	60	0	111631	94		
	मणिपुर	68	सेनापति (3 सब डिविजन छोड़कर)	156513	637	0	122724	78	154	0	1281	1	124796	80		
	मणिपुर	69	थोऊबल	364140	86849	24	5136	1	102	0	54	0	92141	25		
16	उडिसा (1)	70	गजपति*	518837	1623	0	173663	33	2	0	1972	0	177260	34		
17	पांडिचेरी (1)	71	माहे	36828	11411	31	816	2	0	0	1	0	12228	33		
18	राजस्थान (1)	72	गंगानगर	1789423	42442	2	1661	0	4E+05	25	971	0	486483	27		
19	सिक्किम (4)	73	नॉर्थ	41030	391	1	1623	4	146	0	22603	55	24763	60		
	सिक्किम	74	साऊथ	131525	1700	1	12757	10	57	0	31109	24	45623	35		
	सिक्किम	75	ईस्ट	245040	4789	2	14502	6	958	0	64729	26	84978	35		
	सिक्किम	76	वेस्ट	123256	813	1	7233	6	15	0	33601	27	41662	34		
20	तमिलनाडु (1)	77	कन्याकुमारी	1676034	70360	4	745406	44	31	0	26	0	815823	49		
21	उत्तर प्रदेश(15)	78	रामपुर	1923739	945277	49	7297	0	61717	3	2227	0	1016518	53		
	उत्तर प्रदेश	79	मुरादाबाद	3810983	1735381	46	8832	0	8610	0	2436	0	1755259	46		
	उत्तर प्रदेश	80	बिजनौर	3131619	1306329	42	3411	0	48725	2	3376	0	1361841	43		
	उत्तर प्रदेश	81	सहारनपुर	2896863	1132919	39	5039	0	20693	1	3645	0	1162296	40		
	उत्तर प्रदेश	82	ज्योतिबा फुले नगर*	1499068	590308	39	4206	0	5578	0	248	0	600340	40		
	उत्तर प्रदेश	83	मुजफ्फर नगर	3543362	1349629	38	3303	0	1899	1	2356	0	1374286	39		



अल्पसंख्यक सकेन्द्रित उन 18 अतिरिक्त जिलों की सूची जिन्हें अल्पसंख्यक बहुल जनसंख्या वाले 103 जिलों की पहले परिचालित की गई सूची में शामिल नहीं किया गया है

क्रम सं.	राज्य	क्रम सं.	चुने गए जिले
1.	जम्मू और कश्मीर	1.	लेह (लडाख)
2.	मेघालय	2.	वेस्ट गारो टिल्स
3.	मिज़ोरम	3.	लांगत्लीई
	मिज़ोरम	4.	मामिट
4.	बिहार	5.	सीमाबढ़ी
	बिहार	6.	दरभंगा
	बिहार	7.	पश्चिम चंपारन
5.	झारखंड	8.	रांची
6.	कर्नाटक	9.	गुलबर्गा
7.	उत्तर प्रदेश	10.	बुलंदशहर
	उत्तर प्रदेश	11.	शाहजहांपुर
	उत्तर प्रदेश	12.	बदायूं
	उत्तर प्रदेश	13.	बराबंगी
	उत्तर प्रदेश	14.	खेरी
	उत्तर प्रदेश	15.	लखन
8.	पश्चिम बंगाल	16.	कूच बिहार
	पश्चिम बंगाल	17.	कोलकाता
	पश्चिम बंगाल	18.	बर्धमान

अनुबंध III

-----को समाप्त तिमाही के लिए समस्त प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिमों (चुने गए जिलों में) की तुलना में विनिर्दिष्ट अल्प संख्यक समुदायों को दिए गए प्राथमिकताप्राप्त अग्रिम दर्शानेवाला विवरण (पैराग्राफ 5.3 के अनुसार)

जिले का नाम -----

( करोड़ रु में )

समुदाय का नाम	खातों की संख्या		बकाया राशि	
	पिछली तिमाही	चालू तिमाही	पिछली तिमाही	चालू तिमाही
क. अल्पसंख्यक समुदाय				
1. इसाई				
2. मुस्लिम				
3. बुद्धिस्ट				
4. सिख				
5. झोरास्ट्रियन				
कुल (1 से 5)				
ख. अन्य				
ग. पहचाने गये जिलों में कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम (क+ख)				
घ. (ग) की तुलना में (क) का हिस्सा प्रतिशत में				

नोट : (1) वास्तविक खातों की संख्या  
(2) करोड़ रु. में बकाया राशि

अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण उपलब्ध कराना

मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची

क्रम सं.	परिपत्र सं.	दिनांक	विषय
1.	ग्राआऋवि.सं.एसपी.बीसी.4/पीएस. 160-86/87	24.7.86	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं
2.	ग्राआऋवि.सं.एसपी.बीसी.97/पीएस. 160-86/87	29.7.86	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं
3.	ग्राआऋवि.सं.एसपी.1378/पीएस. 160-86/87	9.01.87	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं
4.	ग्राआऋवि.सं.एसपी.1563/पीएस. 160-86/87	11.02.87	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं
5.	ग्राआऋवि.सं.एसपी.बीसी.75/पीएस. 160-86/87	08.04.87	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं
6.	ग्राआऋवि.सं.एसपी.बीसी.14/पीएस. 160-87/88	31.07.87	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं
7.	ग्राआऋवि.सं.एसपी.374/पीएस. 160-87/88	31.07.87	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं
8.	ग्राआऋवि.सं.एसपी.बीसी.45/पीएस. 160-87/88	16.10.87	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं
9.	ग्राआऋवि.सं.एसपी.बीसी.55/पीएस. 160-87/88	2.11.87	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं
10.	ग्राआऋवि.सं.एसपी.बीसी.56/पीएस. 160-87/88	2.11.87	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं
11.	ग्राआऋवि.सं.एसपी.649/पीएस. 160-88/89	27.09.88	प्रधानमंत्री का अल्पसंख्यकों के कल्याण से संबंधित 15 सूत्री निवेश
12.	ग्राआऋवि.सं.एसपी.बीसी.46/पीएस. 160-88/89	17.11.88	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएँ
13.	ग्राआऋवि.सं.स्टैट.बीसी.66/स्टैट.20 (सीबी)/88-89	21.01.89	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएँ



14.	ग्राआऱऱवि.सं.एलबीएस.बीसी.121/ एलबीसी.34/88-89	07.06.89	राज्य अल्पसंख्यक आयोगों/बोर्डों या राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगमों और जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति और राज्य स्तरीय पुनरीक्षण बैठकों में अजा/अजजा निगमों के प्रतिनिधियों को शामिल करना
15.	ग्राआऱऱवि.सं.एसपी.बीसी.37/सी. 453(यू)89-90	03.10.89	विभेदक ब्याज दर योजना - राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय/विकास निगमों के माध्यम से अग्रिम देना
16.	ग्राआऱऱवि.सं.एसपी.बीसी.124/ पीएस.160-89/90	26.06.90	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं
17.	ग्राआऱऱवि.सं.एसपी.बीसी.80/पीएस. 160-92/93	10.03.93	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं - तिमाही विवरण
18.	ग्राआऱऱवि.सं.एसपी.1934/पीएस. 160-92:93	22.06.93	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं
19.	ग्राआऱऱवि.सं.एसपी.बीसी.17/पीएस. 160-93/94	10.8.93	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं - कर्मचारियों को प्रशिक्षण
20.	ग्राआऱऱवि.सं.एसपी.बीसी.32/पीएस. 160-93/94	6.9.93	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं - संशोधित फार्मेट
21.	ग्राआऱऱवि.सं.एसपी.बीसी.50/पीएस. 160-93/94	13.10.93	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं - संशोधित फार्मेट
22.	ग्राआऱऱवि.सं.एसपी.बीसी.83/पीएस. 160-93/94	07.01.94	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण उपलब्धि - तिमाही विवरण
23.	ग्राआऱऱवि.सं.एसपी.बीसी.166/ पीएस.160-93/94	15.06.94	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं - 41 चयनित जिले
24.	एलबीएस.बीसी.29/02.03.01- 94/95	31.08.94	राज्य अल्पसंख्यक आयोगों/बोर्डों या राज्य स्तीय बैंकर समिति में राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगमों के प्रतिनिधियों को शामिल करना

25.	ग्राआऱऱवि.सं.एसपी.बीसी.79/ 09.10.01/94-95	09.12.94	विनिर्दिष्ट अल्पसंख्यक समुदायों की सूची -बुद्धिस्ट के स्थान पर- नव बुद्धिस्टों को शामिल करना
26.	ग्राआऱऱवि.सं.एसपी.बीसी.33/ 09.10.01/96-97	07.09.96	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं - तिमाही विवरण
27.	ग्राआऱऱवि.सं.एसपी.बीसी.43/ 09.10.01/96-97	10.10.96	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण उपलब्धि अनुदेशों का सार- संकलन
28.	ग्राआऱऱवि.सं.एसपी.बीसी.108/09. 12.01/96-97	28.02.97	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एमएमडीएफसी)
29.	ग्राआऱऱवि.सं.एसपी.13/09.10.01/ 2001-02	13.08.01	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं - मूल्यांकन अध्ययन
30.	ग्राआऱऱवि.सं.एसपी.1074/ 09.10.01/2001-02	21.01.02	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण उपलब्धि बढ़ाना
31.	ग्राआऱऱवि.सं.एसपी.बीसी.62/ 09.10.01/2001-02	04.02.02	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण उपलब्धि बढ़ाना
32.	ग्राआऱऱवि.एसपी.बीसी.सं.22/ 09.10.01/2006-07	01.09.20 06	अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधान मंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम
33.	ग्राआऱऱवि.एसपी.बीसी.सं. 83/ 09.10.01/2006-07	27.04.07	उन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों(जम्मू और कश्मीर, पंजाब, मेघालय,मिजोरम,नागालैंड और लक्षद्विप)को छोड़कर जहां अल्प संख्यक मेजोरिटी में हैं, उन 103 अल्पसंख्यक सकेन्द्रित जिलों की सूची जहां अल्पसंख्यकों की आबादी कम से कम 25% है।
34.	ग्राआऱऱवि.एसपी.बीसी.सं. 13/09.10.01/2007-08	16.07.07	अल्पसंख्यक सकेन्द्रित उन 18 अतिरिक्त जिलों की सूची जिन्हें अल्पसंख्यक बहुल जनसंख्या वाले 103 जिलों की पहले परिचालित की गई सूची में शामिल नहीं किया गया है